# झारखण्ड सरकार
# खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

## संकल्प

विषय :– प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 14.2 किलोग्राम सिलिण्डर के विकल्प के रूप में 05 किलोग्राम के सिलिण्डर लेने वाले लाभुकों को डबल सिलिण्डर का प्रथम रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के जो भी लाभुक दोबारा गैस रिफिल करायेंगे उन्हें 14.2 किलोग्राम सिलिण्डर अथवा 05 किलोग्राम के डबल सिलिण्डर हेतु एक बार गैस रिफिल के मूल्य की प्रतिपूर्ति **(Reimbursement)** के संबंध में।

सुयोग्य परिवारों को घरेलू गैस (LPG) संयोग उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा सिलिण्डर डिपोजिट, प्रेशर रेगूलेटर एवं हॉस पाईप आदि मद में व्यय वहन किया जाता है।

2. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–3262, दिनांक 18.08.2016 एवं संकल्प संख्या–2140, दिनांक 19.05.2017 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा गैस स्टोव का मूल्य एवं 14.2 किलोग्राम सिलिन्डर के प्रथम रिफिल के मूल्य का वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हेतु द्वितीय दिशा–निर्देश पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.2), दिनांक 12.03.2018 एवं तृतीय दिशा–निर्देश पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.III), दिनांक 20.12.2018 द्वारा योजना के लाभुकों के दायरे को विस्तारित किया गया जिसे क्रमशः विभागीय संकल्प संख्या 1310, दिनांक 25.04.2018 एवं विभागीय संकल्प संख्या 518, दिनांक 12.02.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य में लागू करने का संकल्प लिया गया।

3. भारत सरकार के पत्रांक M-13020(19)/21/2019-PNG-LPG, दिनांक 10.07.2019 द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को 14.2 किलोग्राम सिलिन्डर के विकल्प के रूप में 5 किलोग्राम के डबल सिलिन्डर दिये जाने की सहमति प्रदान की गई।

4. भारत सरकार के पत्रांक M-13020(19)/21/2019-PNG-LPG, दिनांक 10.07.2019 के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मौजूदा लाभुकों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल के मूल्य की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) करने के संबंध में सहमति प्राप्त है।

5. भारत सरकार के पत्रांक M-13020(19)/21/2019-PNG-LPG, दिनांक 10.07.2019 के आलोक में विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 14.2 किलोग्राम के विकल्प के रूप में 5 किलोग्राम सिलिन्डर लेने वाले नये लाभुकों के दोनों सिलिन्डर (डबल सिलिण्डर) के प्रथम रिफिल के मूल्य का वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. भारत सरकार के पत्रांक M-13020(19)/21/2019-PNG-LPG, दिनांक 10.07.2019 के आलोक में विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 14.2 किलोग्राम सिलिन्डर अथवा 5 किलोग्राम के डबल सिलिण्डर वाले लाभुकों को जो दोबारा गैस रिफिल करायेंगे उन्हें वित्तीय वर्ष 2019–20 में संकल्प लागु होने की तिथि से एक बार गैस रिफिल के मूल्य की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. भारत सरकार के पत्रांक M-13020(19)/21/2019-PNG-LPG, दिनांक 10.07.2019 के द्वारा यह सुझाव भी प्राप्त है कि इसे क्रियान्वित करने के संबंध में तेल विपणन कम्पनियों के सहयोग से Standard Operating Procedures (SOPs) तैयार कर लें। उक्त के क्रम में तेल विपणन कम्पनी IOCL के पत्रांक IOC/RAO/PMUY/FCS-01, दिनांक 06.08.2019 द्वारा प्रस्तावित Standard Operating Procedures (SOPs) एवं modalities प्राप्त है जो इस प्रकार से उद्धृत है :–

## Standard Operating Procedures (SOPs)

(a) **Consumer with 14.2 kg New Connection (NC) and taking 14.2 kg subsequent refill :** The cost of one 14.2 kg refill will be reimbursed to the beneficiary.

(b) **Consumer with 5 kg Double Bottle Connection (DBC) and taking 5 kg refill :** Cost of one 5 kg refill be reimbursed to beneficiary per booking i.e., 1st reimbursement with 1st refill booking and 2nd reimbursement after 2 booking.

(c) **Consumer with 14.2 kg New Connection (NC) who has swapped to 5 kg connections is taking two 5 kg refills subsequently :** Beneficiary will first swap 14.2 kg cylinder with one 5 kg cylinder. After that beneficiary will be given 2 numbers of 5 kg refills. Cost of one 5 kg refill will be reimbursed to beneficiary per booking i.e., 1st reimbursement with 1st refill booking 2nd reimbursement after 2 booking.

** A check will be put so that customer cannot swap back to 14.2 kg cylinder after receiving the 1st 5 kg sponsored refill. Only taking the 2nd 5kg refill can the customer swap back to 14.2 kg equipment.

(d) No PMUY beneficiary will be given a choice to take one 5 kg + one 14.2 kg refill or vice versa. Cost of subsequent two 5 kg refill or one 14.2 kg refill will only be reimbursed.

## Modalities

(i) **PMUY beneficiary :** The beneficiary will be eligible for one 14.2 Kg refill or two 5 Kg refill under the scheme. The consumer will pay the full amount {Retail Selling Price (RSP)} as per the cash memo to the distributor. The full amount will be reimbursed to the consumer directly into the consumer's bank linked band account through Direct Benefit Transfer LPG (DBTL) mode.

(ii) **Oil Marketing Companies (OMC) distributors :** The distributors will charge the Retail Selling Price (RSP) amount from the beneficiary against the refill delivery.

(iii) **Oil Marketing Companies (OMCs) :** The Retail Selling Price (RSP) amount will be transferred to the beneficiary account as per PAHAL scheme against the delivery of refill as per extant rules.

(iv) **Government of Jharkhand :** Oil Marketing Companies (OMCs) after delivering the refill to the beneficiary, the refill details will flow from Oil Marketing Companies (OMCs) server to NIC Jharkhand portal which is currently being used by Oil Marketing Companies (OMCs). Government of Jharkhand will develop a separate tab in NIC portal used by Oil Marketing Companies (OMCs) for generation of bills. Oil Marketing Companies (OMCs) will print and submit the bills to the state government for full reimbursement of amount equal to Retail Selling Price (RSP) minus subsidy.

(v) Oil Marketing Companies (OMCs) will claim the subsidy amount from Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC).

(vi) Customers will be informed "Total Retail Selling Price (RSP) amount of this refill will be reimbursed to the bank account linked to your aadhaar"

(vii) The additional refill to PMUY consumer (1 no. of 14.2 kg refill/2nos of 5kg refill) will be given to both existing consumer and prospective customers.

(viii) The refills given i.e. 1 no. of 14.2 kg refill/2nos. of 5kg refill will be counted under the loan deferment scheme.

(ix) Customers will be getting subsidy in line with existing capping norms.

तेल विपणन कंपनी IOCL से प्राप्त उपरोक्त Standard Operating Procedures (SOPs) एवं Modalities पर योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) की सहमति प्रार्थित है।

8. वित्तीय वर्ष 2019–20 में संकल्प लागू होने के पश्चात् 30 लाख प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभुकों को दोबारा गैस रिफिल कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली संभावित राशि की गणना :–

| क्र० सं० | विवरण | 14.2 किलोग्राम प्रति सिलिन्डर | 5 किलोग्राम डबल सिलिन्डर |
|---|---|---|---|
| 1 | रिफिलिंग का बाजार मूल्य | 792.50 | 584 |
| 2 | पहल सब्सिडी (भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी) | 285.76 | 205.72 |
| 3 | अंतर राशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी | 506.74 | 378.28 |
| 4 | गैस रिफिल कराने वाले लाभुकों की अनुमानित संख्या | 29 लाख | 1 लाख |
| 5 | संभावित व्यय राशि (Row 3X4) | 1,46,95,46,000 | 3,78,28,000 |

यहाँ यह विदित है कि रिफिलिंग का मूल्य एवं पहल सब्सिडी की राशि परिवर्तनशील है। उक्त के आलोक में जो भी अंतर राशि आयेगी उसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट शीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–51–प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 150.00 करोड़ रूपये की राशि उपबंधित है। तत्काल होने वाले व्यय का वहन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपबंधित राशि से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9. उपरोक्त कंडिका–8 के क्रम में 14.2 किलोग्राम सिलिण्डर अथवा 5 किलोग्राम के डबल सिलिण्डर हेतु एक बार निःशुल्क गैस रिफिल उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल रूपये 1,51,00,00,000/- (रूपये एक सौ एकावन करोड़ मात्र) का अतिरिक्त वहन प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से प्राप्त किया जायेगा।

10. उक्त संलेख पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक 14.08.2019 की बैठक के मद संख्या–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
**(अमिताभ कौशल),**
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा0प्र0–1/एल0पी0जी0/21–01/2019–................/राँची, दिनांक–..............................
**प्रतिलिपि**– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा0प्र0–1/एल0पी0जी0/21–01/2019–................/राँची, दिनांक–..............................
**प्रतिलिपि**– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को ई–गजट में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा0प्र0–1/एल0पी0जी0/21–01/2019–................/राँची, दिनांक–..............................

**प्रतिलिपि**–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा0प्र0–1/एल0पी0जी0/21–01/2019–2480/राँची, दिनांक–16/08/19

प्रतिलिपिः– राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल उद्योग, झारखण्ड, राँची/सहायक प्रबंधक, इण्डेन संभागीय कार्यालय, द्वितीय तल, पलसर प्लाजा, लाईन टेंक रोड़ राँची/सहायक प्रबंधक सेल्स, भारत पेट्रोलियम, राँची टेरीटोरी ऑफिस, तीसरा तल्ला नीलो कॅम्पलेक्स, ओल्ड एच०बी०रोड, काँटा टोली चौक, राँची/एरिया मैनेजर, सेल्स, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जमशेदपुर, एल०पी०जी० प्लान्ट आदित्यपुर, इंडस्ट्रीयल एरिया, लार्ज सेक्टर, पो० गम्हरिया, सरायकेला खरसाँवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/19
सरकार के सचिव।